राजस्थान सरकार

कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

डी–ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्तभवन, जनपथ, जयपुर

email: pd.rghs@rajasthan.gov.in Ph. No. 0141-2744570

No.F.1(240)RGHS/20-21/ 91 Date:

कार्यालय आदेश

राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (आरजीएचएस) की जानकारी लाभार्थियों को प्रदान करने एवं उनकी समस्या समाधान हेतु प्रदेश भर में ब्लॉक स्तर पर शिविर आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त (बीमा) विभाग से प्राप्त पत्र क्रमांक प. 5 (5) वित्त/बीमा/2020 पार्ट–5 दिनांक 17.11.2021 के क्रम में विभाग के समस्त जिला कार्यालयों के संयुक्त/उप/सहायक निदेशकों को निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :–

1. आपके सघन प्रयासों से माह अक्टूबर माह में ही 2.5 लाख से अधिक पंजीयन कराने में सफलता प्राप्त हुई है जिससे वर्तमान में 891887 लाभार्थियों का पंजीयन हो चुका है। समस्त पात्र लाभार्थियों को यथासमय योजना के परिलाभ प्राप्त हो सके, इस हेतु शेष पंजीयन भी विशेष अभियान चलाकर यथाशीघ्र पूर्ण करवाये जायेंगे।

2. इस योजना का व्यापक स्तर पर स्थागन किया गया है किन्तु इसमें शुरूआती दिक्कतें सामने आ रही है। लाभार्थियों से प्राप्त फीड़बैक एवं उनके द्वारा अवगत करायी गयी समस्याओं के मूल में प्रमुख कारण उन्हें प्रावधानों एवं प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी नहीं होना तथा राजकीय चिकित्सालयों/अनुमोदित निजी चिकित्सालयों/चिकित्सक/फार्मा स्टोर्स/लाभार्थियों के मध्य तालमेल का अभाव होना है। अतः इस समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार (वित्त विभाग) एवं आरजीएचएस द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों, आदेशों, परिपत्रों, अधिसूचनाओं, प्रक्रियाओं के संबंध में समस्त स्टेक होल्डर्स को प्रशिक्षित किया जावे एवं उनके मध्य यथासंभव समन्वय स्थापित किया जावे।

3. माह अक्टूबर 2021 की भांति पुनः एक सामान्य जागरूकता अभियान संचालित किया जाकर सभी जिलों में तहसील एवं उपकोष कार्यालय स्तर तक शिविर आयोजित कर लक्ष्य समूह **(Target groups)** विशेषतया पेंशनर्स में आउटडोर प्रक्रिया की व्यापक स्तर पर जानकारी का प्रचार प्रसार और लाभार्थियों की समस्या का निराकरण किया जाना अपेक्षित है अतः माह नवम्बर 2021 के प्रत्येक कार्यदिवस पर कोषाधिकारियों/उपकोषाधिकारियों एवं जिला प्रशासन

का सहयोग लेकर तहसील एवं उपकोष कार्यालय स्तर पर शिविर आयोजित कराये जावें। प्रत्येक जिला कार्यालय दिनांक 19.11.2021 से जिले में कैम्प प्लान कर कैम्प का कार्यक्रम ई–मेल द्वारा तत्काल सूचित करें। उक्त शिविरों में सेवारत कार्मिकों/पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स/संबंधित एरिया में स्थित राजकीय चिकित्सालयों/अनुमोदित निजी चिकित्सालयों/फार्मा स्टोर्स को आउटडोर चिकित्सा सुविधा से संबंधित प्रक्रियाओं की व्यापक जानकारी प्रदान की जावे। उक्त शिविरों में संबंधित एरिया में स्थित ई–मित्रों को भी शामिल किया जावें। उक्त शिविरों के कार्यक्रम को व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें ताकि अधिकाधिक स्टेक होल्डर्स शिविर में भाग ले सकें।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना एवं प्रतिदिवस प्रगति रिपोर्ट आवश्यक रूप से परियोजना निदेशक, आरजीएचएस को प्रेषित कराया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– वित्त (बीमा) विभाग का पत्र क्रमांक प. 5 (5) वित्त/बीमा/2020 पार्ट–5 दिनांक 17.11.2021।

(शरद मेहरा)
निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग
राजस्थान, जयपुर

No.F.1(240)RGHS/20-21/ 410-421 Date: 18/11/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
2. निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर।
6. वरि. अतिरिक्त निदेशक, सर्तकता, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, मुख्यालय जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभाग, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
8. सिस्टम एनालिस्ट, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
9. समस्त संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
10. समस्त कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी ।
11. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना

O/C